"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक/3079/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, घोषित करती है कि कृषि उपज मण्डी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया के मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित स्थान, जिसमें कोई भी संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित है, उक्त क्षेत्र में मण्डी प्रांगण होगी, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम चैनपुर, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया में स्थित खसरा नं. 83/4 का निम्नलिखित से घिरा 0.80 हेक्टेयर शासकीय भूमि का क्षेत्र, अर्थात् :—

1.	उत्तर में	लालपुर के बैजनाथ आत्मज देवसरन गोड़ की निजी भूमि
2.	दक्षिण में	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.)
3.	पूर्व में	शासकीय भूमि
4.	पश्चिम में	राष्ट्रीय राजमार्ग 78 (मनेन्द्रगढ़-अंबिकापुर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक/3079/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3079/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 16-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 16th July 2013

NOTIFICATION

No./3079/F-04/01/2010/14-2.—In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, declares that the following places, including any structures, enclosures, open place, or locality in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Manendragarh, District Korea shall be market yard in the said area, namely :—

PLACE

An area of about 0.80 Hectare of Government Land surrounded by the following, situated at Khasra No. 83/4 at village Chainpur in Tehsil Manendragarh, District Korea, namely :—

1.	North side	Personal Land of Baijnath S/o Devsaran Gond of Lalpur
2.	South side	Industrial Training Center (I.T.I.)
3.	East side	Government Land
4.	West side	National Highway 78 (Manendragarh-Ambikapur)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक/3081/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, घोषित करती है कि कृषि उपज मण्डी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया के मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र उक्त क्षेत्र में मण्डी प्रांगण के संबंध में मूल मण्डी होंगे, अर्थात् :—

क्षेत्र

मण्डी प्रांगण से पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करते हुए, अर्थात् :—

1. मैनपुर	5. डंगौरा	9. पिपरिया	13. चिमटीमार
2. लालपुर	6. भलौर	10. चौघड़ा	14. सिरौली
3. मनेन्द्रगढ़	7. हस्तिनापुर	11. शंकरगढ़	15. मेन्ड्राकला
4. डोमनापारा	8. कठौतिया	12. परसगढ़ी	16. बरमकेला

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक/3081/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3081/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 16-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 16th July 2013

NOTIFICATION

No./3081/F-04/01/2010/14-2.—In exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, declares that the following area in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Manendragarh, District Korea shall be market proper in relation to the market yard in the said area, namely :—

AREA

An area comprising of the following villages within a radius of five kilometer from the market yard, namely :—

1. Chainpur
2. Lalpur
3. Manendragarh
4. Domnapara
5. Dangaura
6. Bhalaur
7. Hastinapur
8. Kathautiya
9. Pipariya
10. Chaughada
11. Shankargarh
12. Parsgarhi
13. Chimtimar
14. Sirauli
15. Mendrakala
16. Baramkela

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक/3083/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक/4467/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 के द्वारा कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील, खड़गवां तहसील एवं जनकपुर (भरतपुर) तहसील के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों को समाविष्ट करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र में कृषि उत्पादों की खरीदी एवं बिक्री के लिए मनेन्द्रगढ़ में मण्डी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी और आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये थे.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा आपत्ति और सुझाव पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील, खड़गवां तहसील एवं जनकपुर (भरतपुर) तहसील के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों को समाविष्ट करते हुए मनेन्द्रगढ़ में मण्डी स्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक/3083/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3083/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 16-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 16th July 2013

NOTIFICATION

No./3083/F-04/01/2010/14-2.—In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, by Notification No. 4467/F-04/01/2010/14-2, Raipur, Dated 5th of October, 2012 declared its intention to establish market at Manendragarh for purchase and sale of agriculture produce in the whole area comprising of all revenue and forest villages of Manendragarh Tahsil, Khadgawa Tehsil and Janakpur (Bharatpur) Tehsil of District Korea and invited objections and suggestions.

Now, therefore, after considering the objections and suggestions and in exercise of the powers conferred by Section 4 of the said Adhiniyam, the State Government, hereby, establishes market at Manendragarh comprising of all revenue and forest villages of Manendragarh Tehsil, Khadgawa Tehsil and Janakpur (Bharatpur) Tehsil of District Korea.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.